



उक्तानुसार उक्त कोलाहला नदी  
के खेतों क्रमांक 110/103 क्रि. 16 अक्टूबर  
1159, 122/111 क्रि. 7 अक्टूबर 0.77, 124/112  
क्रि. 3 अक्टूबर 0.14 व खेत न 779 अक्टूबर  
0.03 की आबादी पर बाँधी का बाँध ध्वस्त  
किया जाता है। उक्त आबादी पर बाँधी का नाम  
बाँधना पुत्र राम के लिये पर विजयपुर  
पुत्र राम के लिये किया जावे तदनुसार  
नदिराबाद उक्तानुसार रामचन्द्र रेवारी के लिये  
बाँध पर लाने के लिये खेत व इन बाँधों से  
कारण को परी डिट्टी जरी हो पञ्जावली  
संजाल शुद्ध हो कर नदी देखा हो व  
दाँव न बचता है

— 4 —

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट :  
— 112 —

**न्याय आपके द्वार 2018**  
कैम्प कोर्ट :- न्यारा  
प्राथमिक डिक्की व मुकदमें इब्ताई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद


विजय सिंह बनाम नाथू

दावा बाबत :- 88, 188 राज. का. अधि0 1955, 136 भू रा.अधि.1956

राजस्व मुकदमा नम्बर - 2/2018  
पेश करने की दिनांक - 3.1.18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रुबरू श्री विरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई स्वयं व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्की दी जाती है कि :-

ग्राम धोला दांता न्यारा के खाता संख्या 110/103 किता 16 रकबा 1.59, 122/111 किता 7 रकबा 0.77, 124/112 किता 3 रकबा 0.14 व खसरा नम्बर 779 रकबा 0.03 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी का नाम बज्जा के स्थान पर विजय सिंह पुत्र रामा दर्ज किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में पालना करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद


खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक \_\_\_\_\_ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 16 माह मई सन् 2018 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	

मिजान

मिजान

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद